would be technically feasible to construct Upper Bhadra Dam?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF IRRIGATION (SHRI Z. R. ANSARI): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Bhadra Dam

5663. SHRI D. M. PUTE GOWDA: Will the Minister of IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the channels of existing Bhadra Dam are not able to feed the planned ayacut itself;

(b) whether it is also a fact that rare variety of timber and plantation worth more than 100 crores is going to be submerged if this scheme is implemented; and

(c) whether Government propose to take necessary steps to consider the above facts before implementing the scheme?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF IRRIGATION (SHRI Z. R. ANSARI): (a) No, Sir. The Government of Karnataka have reported that the existing canals under the Bhadra Project are designed to carry the discharge required for its own ayacut.

(b) The referenc is presumably to the Upper Bhadra Project. The Government of Karnataka have intimated that detailed surveys of submersion area under the Upper Bhadra Project are yet to be done.

(c) The State Government have also intimated that they will take necessary steps to consider the above fact before taking up Upper Bhadra Project.

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग का गठन

5664. **श्री निहाल सिंह :** क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग का गठन किन प्रयोजन से किया था ;

(ख) आयोग के सरकार द्वारा मनोनीत वर्तमान सदस्य कौन-कौन है तथा उन्हें क्या-क्या अधिकार और सुख-सुविधाएं प्राप्त हैं; और

(ग) क्या सरकार ने आयोग के सदस्यों के नाम मनोनीत करने का कार्य पूरा कर लिया है अथवा इसके किस तिथि तक पूरा हो जाने की आशा है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग का गठन खादी तथा ग्रामोद्योगों के विकास के लिए कार्यक्रम तैयार करने, उन्हें आयोजित करने तथा उनका कार्यान्वियन करने के लिए किया गया था ।

(ख) मौजूदा आयोग ने निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं :—

(1) श्री ए० एम० थामस—अध्यक्ष

(2) श्रीमती ताराराामचन्द्र साठे—सदस्य सचिव

(ङ) श्री गोविन्द दास रिचारिया—सदस्य

आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सचिव की शक्तियां खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग नियमावली, 1957 के नियम 10, 10—क तथा 11 में निर्धारित की गई हैं । सुख सुविधाओं उदाहरणार्थ अध्यक्ष के लिए निःशुल्क सुसज्जित आवास सम्बन्ध में प्रावधान उपयुक्त नियमावली के नियम 7

में दिया गया है । इन नियमों का सार विवरण में दिया गया है । सभा पटल पर रख दिया गया । ग्रन्थालय में रखा गया। [देखिए संख्या एल-टी- 2254/81] ।

(ग) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 4 (2) में यह प्रावधान है कि आयोग में न तो तीन से कम और न ही पांच से अधिक सदस्य होंगे । अध्यक्ष तथा सदस्य-सचिव सहित तीन सदस्यों की नियुक्ति की जा चुकी है ।

खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में स्टाक की स्थिति

5665. श्री निहाल सिंह : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में गत तीन वर्षों के दौरान कितने मीटर अथवा कितने मूल्य के वस्त्र कम अथवा अधिक पाये गये;

(ख) उक्त कमी अथवा अधिकता के लिए नियमों के अनुसार कौन अधिकारी उत्तरदाई है; और

(ग) उस के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के स्टाक में अधिकता तथा कमी को दर्शाने वाले आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	अधिकता	कमी
	लाख रुपये	
1977-78	5.33	464.10
1978-79	3.28	946.06
1979-80	4.28	25363.62

(ख) और (ग) स्टाक में कमी मुख्य रूप से उठाईगिरी तथा चोरी के कारण हुई है । कमी में मामलों की आवश्यक जांच-पड़ताल की जा रही है । खादी तथा ग्रामोद्योग भवन जैसे व्यापार केन्द्र, जहां काफी बड़े पैमाने पर लेन-देन होता है, स्टाक में वृद्धि होना आम बात है ।

Unauthorised Construction in the Shopping Centres of Delhi

5666. SHRI KRISHNA PRATAP SINGH: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) whether Government are aware that certain persons have made unauthorised constructions in the shopping centres like Bhagirath Palace, Chawri Bazar area, Sadar Bazar area in Delhi;

(b) if so, the action taken against them; and

(c) the steps taken to ensure that unauthorised constructions are not made?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): (a) Yes, Sir, as reported by the Municipal Corporation of Delhi.

(b) and (c) the Municipal Corporation of Delhi has stated that action has been taken in all such cases as per the Building Bye-laws and that the unauthorised constructions have been